न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 252–एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–10–2012 पारित द्वारा कलेक्टर जिला देवास, प्रकरण कमांक 01/स्वमेव निगरानी/2012–13

राधेश्याम आत्मज बोंदरदास बैरागी,
निवासी ग्राम नेवरी टप्पा हाटपिपल्या तहसील बागली
जिला देवास म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला देवास म0प्र0

..... अनावेदक

श्री पुरूषोत्तम शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/8/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला देवास के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीक्षक भू–प्रबंधन जिला देवास द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–6–अ/2006–07 में दिनांक 24–8–2007 को आदेश पारित कर जिला न्यायाधीश देवास म0प्र0 द्वारा साम्पतिक अपील कमांक 5–ए/97/93 में पारित आदेश दिनांक 5–4–97 के पालन में ग्राम नेवरी तहसील बागली जिला देवास स्थित प्रश्नाधीन भूमि कुल सर्वे नम्बर 18 रकबा 4.682 हेक्टेयर से संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत संशोधन कर प्रबंधक कलेक्टर जिला देवास विलोपित किया जाकर श्री राम मंदिर बांके देह हाजा भूमिस्वामी

पुजारी राधेश्याम पिता बोंदरदास का नाम पुनः दर्ज किया गया । अधीक्षक भू–प्रबंधन के आदेश में कलेक्टर जिला देवास द्वारा अवैधानिकता पाते हुये प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर दिनांक 30–10–2012 को आदेश पारित किया जाकर अधीक्षक भू–प्रबंधन का आदेश 24–8–2007 निरस्त किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के पूर्वजों का नाम अंकित रही है तब से निरन्तर उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज होता रहा है और आवेदक के भाई रामदास का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर अंकित रहा है एवं प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के आधिपत्य में होकर उसके द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है । इस आधार पर कहा गया कि प्रश्नाधीन राम मंदिर आवेदक का निजी मंदिर होकर शासकीय नहीं है । अतः प्रबंधक कलेक्टर दर्ज करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई थी, इसलिये अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा संशोधन आदेश पारित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई थी, जिसे स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है ।

(2) आवेदक से कलेक्टर प्रबंधक की प्रविष्टि की जानकारी होने पर उसके द्वारा दिनांक 18–7–89 को व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक तहसील बागली के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व की घोषणा हेतु व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें कलेक्टर एवं आयुक्त को पक्षकार बनाया गया था और व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 19–9–1990 को आवेदक के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई एवं दिनांक 17–5–93 को आवेदक के पक्ष में डिक्री पारित की गई है, जिसकी अपील प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 15–4–97 को आदेश पारित कर प्रबंधक कलेक्टर का नाम हटाये जाने संबंधी आदेश पारित के पालन में पारित आदेश को निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा विधि की गम्भीर भूल की गई है, क्योंकि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है ।

(3) व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध शासन द्वारा अपील नहीं किये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है इसलिये व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में अधीक्षक भू–प्रबंधन द्वारा पारित आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता है ।

(4) कलेक्टर द्वारा आवेदक को बिना पक्षकार बनाये और बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(5) अधीक्षक भू–प्रबंधन द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कलेक्टर को अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

तर्क के समर्थन में 1960 आरएन 283, 1984 आरएन 31, 1980 आरएन 259, 2009 आरएन 179, 2011 आरएन 273, 2012 आरएन 362 एवं 2013 आरएन 215 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि मंदिर की भूमि है और भू–अभिलेखों में वर्ष 1995–96 में कलेक्टर का नाम प्रबंधक के रूप में दर्ज था । आवेदक की ओर से ऐसे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि मंदिर की नहीं होकर उसके स्वामित्व की भूमि है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है । परन्तु इस प्रकरण में आये हुये तथ्यों को देखते हुये कलेक्टर को यह निर्देश दिये जाना उचित है कि वे पुनः प्रश्नाधीन भूमि पर प्रबंधक कलेक्टर का नाम दर्ज करने की नियमानुसार कार्यवाही प्रारंभ करें ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला देवास के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2012 स्थिर रखा जाकर उन्हें निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रश्नाधीन भूमि पर प्रबंधक के रूप में कलेक्टर का नाम दर्ज कराने की पुनः विधिवत् कार्यवाही करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर